न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

पंचायत निगरानी संख्या 1/2015

श्री हरदयाल पुत्र श्री सूरजमल (मृतक) जरिये वारिसान :–

1. श्री रमेश चन्द्र कंवरिया पुत्र श्री हरदयाल जाति रेगर निवासी ए–704 चन्द्रवरदायी नगर, अजमेर।
2. प्रेमदेवी दोलिया पुत्री श्री हरदयाल पत्नी श्री सुशील कुमार जाति रेगर निवासी 21/622 रेगरान मौहल्ला, अजमेर।

.....**प्रार्थीगण**

बनाम

1. श्री सुरेन्द्र कंवरिया पुत्र श्री विष्णुदत्त
2. श्री विष्णुदत्त कंवरिया पुत्र श्री सूरजमल उर्फ सुगना जाति रेगर निवासीगण ग्राम नरवर पंचायत समिति श्रीनगर, जिला अजमेर।
3. ग्राम पंचायत नरवर पंचायत समिति श्रीनगर जरिये सरपंच।
4. ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत नरवर पंचायत समिति श्रीनगर, जिला अजमेर।
5. श्री राजकुमार कंवरिया पुत्र श्री औंकार नाथ कंवरिया जाति रेगर निवासी ग्राम नरवर पंचायत समिति श्रीनगर, जिला अजमेर।
6. श्री ओमप्रकाश कंवरिया पुत्र श्री हरदयाल जाति रेगर निवासी अम्बावाड़ी धोबी घाट के पास, तोपदड़ा, अजमेर।

.....**अप्रार्थीगण**

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान
पंचायत राज अधिनियम 1996

उपस्थित :– श्री विकास पाराशर वकील प्रार्थीगण की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक 30.03.2017

संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 21.12.2012 को श्री सुरेन्द्र कंवरिया पुत्र श्री विष्णुदत्त कंवरिया जाति रेगर निवासी रेगरान मौहल्ला नरवर जिला अजमेर ने सरपंच ग्राम पंचायत नरवर पंचायत समिति नरवर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम नरवर स्थित पैतृक मकान का पट्टा जारी करने का निवेदन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर ग्राम पंचायत नरवर द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 15.01.2001 को सर्वसम्मति से पारित कर आवास का नियमन किये जाने का निर्णय लिया गया तथा दिनांक 22.01.2013 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव संख्या 8 पारित कर प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी करने का निर्णय लिया जाकर उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 27 दिनांक 22.01.2013 जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किये गये आक्षेपीय पट्टे से असंतुष्ट होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। निगरानी के विचाराधीन रहते प्रार्थी की मृत्यु हो जाने पर मृतक के वारिसान की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी की हैसियत से पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किए गये किन्तु अप्रार्थीगण मे से केवल अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित रहे। शेष अप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित सम्पत्ति खसरा नम्बर 130 ग्राम नरवर पंचायत समिति श्रीनगर में उपस्थित है जिसका कुल माप 75X50 फीट यानि कुल 3750 वर्गफीट है। उपरोक्त सम्पत्ति श्री सूरजमल उर्फ सुगना की सम्पत्ति थी। सूरजमल उर्फ सुगना के तीन पुत्र हरदयाल, औंकार व विष्णुदत्त हुए तथा उपरोक्त सम्पत्ति में तीनों पुत्रों का बराबर बराबर का हक व अधिकार है जिस पर सभी अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज है। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि विवादित सम्पत्ति का विधिवत रूप से बंटवारा आज दिनांक तक नहीं हुआ है। उक्त सभी तथ्यों को छिपाते हुए अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत नरवर के समक्ष दिनांक 21.12.2012 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति जिसमें वे पिछले 50 वर्षों से निवास कर रहे है तथा उक्त मकान उनके हिस्से में आता है अतः उक्त मकान का पट्टा उसके पक्ष में जारी किया जावे। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 21.12.2012 को ही आहूत बैठक में मौका निरीक्षण हेतु कमिश्नर के रूप में तीन वार्ड पंच को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आगामी बैठक में मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश किया। उन्होंने आगे कथन किया कि वार्ड पंचों द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को लाभ पंहुचाने की समस्त कार्यवाही पर उसी दिवस पर बिना मौका निरीक्षण किए रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, तत्पश्चात् आगामी बैठक दिनांक 15.01.2013 को ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 15.01.2013 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आवास नियमन का अस्थाई निर्णय लिया इसके साथ ही आपत्ति नोटिस जारी करने का भी निर्णय लिया गया तथा उपरोक्त नोटिस भी दिनांक 15.01.2013 को जारी कर दिया। इस नोटिस में स्पष्ट रूप से अंकित है कि ''यदि किसी को भी उनपर उल्लेखित भूमि के विक्रय पर कोई आक्षेप हो तो उसकी तारीख से एक माह के भीतर अपने आक्षेप फाइल कर देने चाहिये।'' इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को अनुचित लाभ पहुँचानें की नीयत से नोटिस की अवधि समाप्त होने से पहले ही एक सप्ताह पश्चात् दिनांक 22.01.2013 को प्रस्ताव संख्या 8 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी करने के आदेश कर दिये। अप्रार्थी संख्या 1 वरवक्त उपरोक्त कार्यवाही वार्ड संख्या 3 का वार्ड पंच था, उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग कर सरपंच व अन्य से मिलीभगत कर अपने पक्ष में आक्षेपीय पट्टा जारी करवा लिया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा की गई समस्त कार्यवाही नियमों के विरूद्व की गई है, एवं ग्राम पंचायत की अभिलिखित समस्त कार्यवाही साईक्लोस्टाईल यानि पूर्व में ही छपी हुई सामग्री में केवल मात्र नाम पते, माप दिनांक आदि भर कर पूर्ण कर ली गई है, जो न्याय एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये तथा न ही वादग्रस्त सम्पत्ति के सभी हिस्सेदारों/मालिकों को सुनवाई का अवसर दिये अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आक्षेपीय पट्टा जारी किया है जिसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं थी। प्रार्थी की जानकारी में सर्वप्रथम 23.01.2013 को होने पर उनके द्वारा ग्राम पंचायत

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner

नरवर कैम्प प्रभारी के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत की जिस पर कैम्प प्रभारी ने प्रार्थी को आश्वस्त कर दिया था कि किसी प्रकार का कोई पट्टा जारी नहीं किया जाएगा किन्तु सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी की आपत्ति को दरकिनार करते हुए बिना मौका निरीक्षण किये मौका रिपोर्ट बना दी क्योंकि यदि उक्त वार्ड पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया होता तो कुल भूमि 466.66 वर्ग के आधार पर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती एवं मौका स्थल पर मौजूद व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये जाते। वकील प्रार्थी ने आगे कथन किया कि प्रार्थी द्वारा आक्षेपीय पट्टे को निरस्त करवाने बाबत् समस्त उच्चाधिकारियों से निवेदन किया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा दिनांक 12.12.2014 को पत्र जारी कर प्रार्थी को सूचित किया गया कि वह सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा विधिक सलाह हेतु अधिवक्ता से सम्पर्क कर सभी नकलों की व्यवस्था करने के पश्चात् अविलम्ब निगरानी प्रस्तुत की गई है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया आक्षेपीय पट्टा निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत नरवर द्वज्ञरा पंचायत राज अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के पूर्ण रूप से पालना नहीं की गई है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 21.12.2012 को ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा उसी दिन आहूत बैठक में मौका निरीक्षण हेतु कमिश्नर नियुक्त कर आगामी बैठक में मौका निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये, किन्तु उसी दिवस को मौका निरीक्षण किये बिना अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसके अतिरिक्त दिनांक 15.01.2013 को आपत्ति नोटिस जारी कर एक माह की अवधि में आपत्तियां आमंत्रित की किन्तु नोटिस की अवधि समाप्ति से पूर्व ही दिनांक 22.01.2013 को आक्षेपीय पट्टा जारी कर दिया है जो विधि सम्मत नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 ने भी जवाब प्रस्तुत कर प्रकरण में जांच करने का निवेदन किया है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 27 दिनांक 22.01.2013 निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 30.03.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner